

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला

हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 254 / 2024

अनवान : -

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. प्रेमकुमार  | } पि० गजानन्द जाति अग्रवाल निवासीयान हनुमानगढ़ टाउन<br>तहसील व जिला हनुमानगढ़। |
| 2. महेन्द्रपाल |  |
| 3. राजेश कुमार |  |

वादीगण

बनाम्

1. जवाहर सिंह पुत्र जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिगेवाला तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 22/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी भंवर लाल गौड अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 8 जीजीआर के प०न० 201/279 मु० 10 किला नं० 2/.253 है० नाली प्रथम आराजी का खाता प्रतिवादी से तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जावे शेष खाता प्रतिवादी स० 1 के नाम से बदस्तूर रखा जावे।। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पदेन सहायक कलक्टर  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी